न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 38 / 18 / टोंक (2018 / 00038)

विभागीय अपील द्वारा श्री दिनेश कुमार पारीक पटवारी तहसील निवाई हाल भू.अ.निरीक्षक, करेड़ाबुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर टोंक दिनांक 21–05–2008 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री दिनेश कुमार पारीक तहसील निवाई हाल भू.अ.निरीक्षक, करेड़ाबुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक

निर्णय

दिनांकः– 24.4.2018

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, टोंक के आदेश दिनांक 21–05–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 14.02.2006 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

आप श्री दिनेश कुमार पारीक लीव रिजर्व तहसील कार्यालय निवाई में पदस्थापन के दौरान दिनांक 9–6–2005 व दिनांक 18–6–2005 से दिनांक 29–9–2005 तक सक्षम अधिकारी से बिना अवकाश स्वीकृत कराये स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित रहे। तहसीलदार, निवाई द्वारा पत्र क्रमांक 3484 दिनांक 20–7–2005 द्वारा स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित बाबत नोटिस देने पर भी आप नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी उपस्थित नहीं हुए। इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक 4776 दिनांक 29–9–2005 की पालना में आप द्वारा दिनांक 5–10–2005 को

उपस्थिति दी गई। आप का उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही एवं आदेशों की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है, इसके लिए आप दोषारोपित है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 22–3–2006 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इसलिए जिला कलक्टर, टोंक ने अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए इसके लिए तारीख 21–05–2008 निश्चित की गई। इस पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुए। जिला कलक्टर, टोंक ने अपीलान्ट की सुनवाई कर आदेश पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए अपीलांट को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने (Without Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, टोंक के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, टोंक का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, टोंक का आदेश दिनांक 21–05–2008 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि अपीलांट तहसील निवाई में लीव रिजर्व पटवारी था। तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के आधार पर आर.एस.आर नियम 86(1) में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1956 के नियम 16 के अन्तर्गत दिनांक 14–2–2006 को आरोप पत्र से आरोपित किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 22–3–2006 को स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित रहने के सन्दर्भ में जवाब प्रस्तुत किया था कि दिनांक 9–6–2005 को नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु होने के कारण दिनांक 9–6–2005 का आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र भिजवाया गया था। दिनांक 18–6–2005 को अचानक पेटदर्द व बुखार हाने से दिनांक 18–6–2005 से 22–6–2005 का प्रार्थना पत्र तहसील में ड्राईवर श्री किशनलाल के साथ भिजवाया गया था तथा स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने से दिनांक 23–6–2005 को जरिये पोस्ट ऑफिस यूपीसी के जरिये दिनांक 17–7–2005 तक का अवकाश प्रार्थना पत्र चिकित्सक की राय के अनुसार भिजवाया गया था। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर पुनः दिनांक 23–7–2005 को जरिये पोस्ट ऑफिस से दिनांक 23–7–2005 को अवकाश प्रार्थना पत्र भिजवाया

गया। दिनांक 16–8–2005 को निवाई सामुदायिक अस्पताल द्वारा अरोग्य प्रमाण पत्र दिया गया परन्तु 16–8–2005 को मोपेड से प्रमाण पत्र लेकर आने के दौरान कमजोरी होने से चक्कर आने के कारण गिर जाने से दाये हाथ में फ्रेक्चर हो गया। इस कारण पुनः चिकित्सा परिचर्चा में रहने से दिनांक 5–10–2005 को उपस्थिति दी गई साथ में चिकित्सा प्रमाण पत्र की फोटों प्रतियां भी प्रस्तुत कर दी गई थी।

अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जवाब से सन्तुष्ट नहीं होने पर उपखण्ड अधिकारी, निवाई को जांच अधिकारी तथा तहसीलदार, निवाई को विभागीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया । जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अंतिम अभ्यावेदन प्रेषित करने पर दिनांक 16–5–2008 को पुनः जवाब प्रस्तुत किया गया। परन्तु अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जवाब से असन्तुष्ट होकर दिनांक 21–5–2008 को विभागीय जांच में निर्णय पारित किया जिसमें आरोप सामान्य प्रकृति का होने व समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण 16 सीसीए के अन्तर्गत निर्णय करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकरण कोनियम 17 सीसीए में परिवर्तित कर आरोपी कार्मिक द्वारा समय पर सूचना नहीं देने के आरोप में एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर तहसीलदार निवाई को आकस्मिक अवकाश व विचाराधीन अनुपस्थि अवधि का रूपान्तरित अवकाश स्वीकृत करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त जांच के सन्दर्भ में अपचारी कार्मिक को पूर्ण सुनवाई का अवसर देने तथा आरोप को सिद्ध करने का पूर्ण दायित्व विभागीय प्रतिनिधि पर होता है।

उनका यह भी कथन है कि जांच अधिकारी द्वारा विभागीय प्रतिनिधि से आरोप सिद्ध करने हेतु अवधि की सूची मांगी गई ना ही कोई गवाही करवाई गई प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर ही जांच रिपोर्ट भिजवाई गई जबकि प्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों के सन्दर्भ में काई जांच नहीं की गई यहां तक की प्रार्थी द्वारा जवाब में स्पष्ट अंकित किया गया कि अवकाश प्रार्थना पत्र तहसीलदार के ड्राईवर किशनलाल के साथ भिजवाया गया था। उससे भी जानकारी प्राप्त करने हेतु जांच अधिकारी द्वारा कोई पत्र जारी नहीं किया गया न ही ऑफिस कानूनगों के बयान करवाये गये। उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5.3 में अंकित किया कि दिनांक 9–8–2005 को प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रस्तुत कर स्वीकृत कराकर अवकाश पर रवाना होना चाहिए था। जांच अधिकारी द्वारा इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि प्रार्थी के दिनांक 9–6–2005 को नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु होने से मुख्यालय छोड़ना अतिआवश्यक था जिसके लिए कार्यालय के खुलने का इन्तजार नहीं किया जा सकता था। इस कारण आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र अपनी पुत्री के साथ

भिजवाया गया था। सेवा नियमों में स्पष्ट प्रावधान दिया हुआ है कि मृत्यु पर अथवा बीमारी के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र पूर्व में स्वीकृत कराया जाना आवश्यक नहीं है। बल्कि उपस्थिति के समय कार्मिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 6.1 में दिनांक 18–6–2005 से 22–6–2005 तक पांच दिवस का अवकाश प्रार्थना पत्र तहसील के ड्राईवर किशनलाल के साथ प्रेषित करना अंकित है। इस कथन की पुष्टि नहीं होने के लिए तहसील में कार्यरत ड्राईवर के बयान होना आवश्यक था जो तहसीलदार/जांच अधिकारी द्वारा नहीं करवाये गये। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्रों की यूपीसी डाक विभाग की रसीद प्रस्तुत की गई जिसको नकारने का आधार नहीं है। जांच अधिकारी द्वारा उक्त पत्रों को तहसील में नहीं आने के संबंध में कोई तथ्य संलग्न नहीं किये गये। जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया कि प्रार्थी आदतन ऐसा करता रहता है जो स्पष्ट प्रार्थी के प्रति जांच अधिकारी की दुर्भावना का द्योतक है। अपीलांट द्वारा अपने जवाब में अवकाश पर रहने बाबत निवेदन किया गया था किन्तु जिला कलक्टर टोंक ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर गौर नहीं कर दण्डादेश पारित किया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पैरावाईज टिप्पणी प्रेषित की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया कि अपीलांट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही व्यक्तिगत सुनवाई व प्रस्तुत प्रत्युत्तर के आधार पर निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी के स्वेच्छिक रूप से दिनांक 9–6–2005 एवं 18–6–2005 से दिनांक 4–10–2005 तक अनुपस्थित रहने पर इस कार्यालय के आदेश दिनांक 21–5–2008 द्वारा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने से दण्डित किया गया। साथ ही आकस्मिक अवकाश व विचाराधीन अनुपस्थित अवधि का रूपान्तरित अवकाश स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दिनांक 14–2–2006 को स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित के सन्दर्भ में अरोप पत्र दिया जाकर निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उपखण्ड अधिकारी, निवाई को जांच अधिकारी तथा तहसीलदार, निवाई को विभागीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा अपीलांट को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर जांच रिपोर्ट भिजवाई गई है तथा जांच रिपोर्ट की प्रति दी जाकर अंतिम अभ्यावेदन प्राप्त होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है जो उचित एवं सही है। अपीलांट को जांच रिपोर्ट के सन्दर्भ में आपत्ति थी या जांच में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था तो अनुशासनात्मक अधिकारी को अवगत कराना चाहिए था। अपीलांट द्वारा दौरान जांच जांच अधिकारी को अपने

बचाव में बयान/अभिलेख हेतु कोई सूची प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलार्थी को दिया गया दण्डादेश युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियमों में दी गई प्रक्रिया अनुसार जारी किया गया है जो उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

मैंनें अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, टोंक द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। जिला कलक्टर, टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 21–05–2008 द्वारा श्री दिनेश कुमार पारीक पटवारी तहसील निवाई हाल भू.अ.निरीक्षक, करेड़ाबुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया है। जिला कलक्टर, टोंक द्वारा उक्त आदेश में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उठाये गये बिन्दुओं व विधिक प्रावधानों को नहीं मानने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया। अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में अंकित किया था कि वह दिनांक 9–6–2005 को अपने नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु होने पर अपनी पुत्री के साथ ऑफिस कानूनगों को आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र भिजवाया था। उसके प्श्चात भी कार्यालय के उपस्थिति पंजिका में क्रास लगा दिया गया तथा उसे पश्चात अपचारी कर्मचारी के बीमार होने तथा दुर्घटना कारित होने के कारण दाये हाथ में फ्रेक्चर होने के कारण मेडिकल अवकाश पर रहा था जिसकी सूचना भी उसके द्वारा समय–समय जरिये डाक तहसील कार्यालय निवाई में प्रेषित की गई थी। अपीलांट ने अपने प्रतिउत्तर में उल्लेखित किया है कि दिनांक 18–6–2005 को अचानक पेटदर्द व बुखार हाने से दिनांक 18–6–2005 से 22–6–2005 का प्रार्थना पत्र तहसील में ड्राईवर श्री किशनलाल के साथ भिजवाया गया था तथा स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने से दिनांक 23–6–2005 को जरिये पोस्ट ऑफिस यूपीसी के जरिये दिनांक 17–7–2005 तक अवकाश प्रार्थना पत्र चिकित्सक की राय के अनुसार भिजवाया गया था। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर पुनः दिनांक 23–7–2005 को जरिये पोस्ट ऑफिस से दिनांक 23–7–2005 को अवकाश प्रार्थना पत्र भिजवाया गया तथा दिनांक 16–8–2005 को निवाई सामुदायिक अस्पताल द्वारा अरोग्य प्रमाण पत्र दिया गया परन्तु 16–8–2005 को मोपेड से प्रमाण पत्र लेकर आने के दौरान कमजोरी होने से चक्कर आने के कारण गिर जाने से दाये हाथ में फ्रेक्चर हो गया। इस कारण पुनः चिकित्सा परिचर्चा में रहने से दिनांक 5–10–2005 को तहसील कार्यालय निवाई में उपस्थिति दी थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलांट स्वेच्छा से कभी भी अनुपस्थित नहीं रहा है। जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा उक्त तथ्यों की जानकारी के लिए तहसील कार्यालय में

उपस्थित ऑफिस कानूनगों एवं तहसीलदार, निवाई के ड्राईवर श्री किशनलाल के बयान नहीं करवाये जिससे वास्तविकता सिद्ध हो सकती थी। ऐसी स्थिति में जांच रिपोर्ट अपूर्ण है। नियमों/परिपत्रों में यह भी प्रावधान है कि किसी भी कार्मिक के आकस्मिक कार्य पड़ने पर वह अपने घर से भी आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र भेज कर कार्यालय को सूचित कर सकता है। यह अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उस पर टिप्पणी अंकित करे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रेषित रोग आरोग्य प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया जिससे सिद्ध है कि अपचारी कर्मचारी द्वारा बीमार रहने एवं हाथ में फ्रेक्चर होने के करण ही अवकाश लिया गया था। अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिये गये जवाब एवं दलीलों से सहमति व्यक्त करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि अपचारी कार्मिक पर लगाये गये आरोप गम्भीर आरोप नहीं है। अपचारी कर्मचारी द्वारा तहसील कार्यालय में समय–समय पर अपने अवकाशों के संबंध में सूचना दी जाती रही है जिला कलक्टर टोंक ने उपखण्ड अधिकारी, निवाई जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को एवं अपचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजरअन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 21–05–2008 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 21–5–2008 एवं आदेश क्रमांक भूअ.6/ एफ.2(6)/विजा/05/4319 दिनांक 31–5–2008 निरस्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावे।

(हनुमान सहाय मीना),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर